रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date 22 SEP 1976
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1976 (भाद्रपद 13, 1898)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1976 (BHADRA 13, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	625
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1469
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर विनियमों, नियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1209
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों से संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2259
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2845
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	325
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	7655
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	733
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	55
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1689
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	145

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	625
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1469
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1209
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2259
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2845
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	325
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	7655
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	733
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	55
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1689
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	145

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1976

सं० 70-प्रेज/76—राष्ट्रपति राजस्थान सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री खंगार सिंह,
प्लाटून कमांडर,
प्रथम बटालियन,
राजस्थान सशस्त्र पुलिस।

श्री मान सिंह,
हैड कांस्टेबिल सं० 124,
प्रथम बटालियन,
राजस्थान सशस्त्र पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

डाकू नाभा के गरोह ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के मिलने के क्षेत्र में आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रखा था। उन्होंने अनेक डकैतियां, अपहरण और अन्य अपराध किए थे। 4 मई, 1975 को जिला मुरैना में उन्होंने एक पुलिस निरीक्षक और एक बस कण्डक्टर को गोली से मार डाला तथा एक बस से सात यात्रियों का अपहरण कर लिया। सवाई माधोपुर जिले में, डाकुओं के गिरोह को पकड़ने के लिए पूरी तरह खोज शुरू की गई। 16 और 17 मई, 1975 को गिरोह के साथ पुलिस की दो मुठभेड़ें हुई किन्तु डाकू बचकर कर भाग गए। पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक श्री खंगार सिंह की कमान में पुलिस उनका पीछा करती रही। 30 मई, 1975 को प्रातः ही उनकी गिरोह के साथ एक और मुठभेड़ हुई जिसे एक गांव में घेर लिया गया। पुलिस दल तीन टुकड़ियों में बांट दिया गया। उनमें श्री खंगार सिंह ने उन टुकड़ियों में एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने लगभग 75 गज की दूरी से डाकुओं पर गोली चलाई। डाकुओं ने भी जवाब में गोली चलाई। श्री खंगार सिंह के दाएं पैर में गोली लगी पर विचलित नहीं हुए और खतरे की परवाह न करते हुए उन्होंने जवाब में गोली चलाई और गिरोह के सरदार को मौत के घाट उतार दिया। अन्य डाकुओं ने पार्श्व भाग से बचकर भागने का पूरा प्रयास किया। गोलीबारी और निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह ने लगभग तीन मील तक डाकुओं का पीछा किया और एक डाकू को गोली से मार डाला। श्री मान सिंह पुलिस की टुकड़ियों में से एक के सदस्य थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक गोलीबारी करके डाकुओं को बचकर भाग निकलने से रोक लिया।

इस मुठभेड़ में श्री खंगार सिंह तथा श्री मान सिंह ने उत्कृष्ठ वीरता, दृढ़ संकल्प तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 मई, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 71-प्रेज/76—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पद सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह,
प्लाटून कमांडर,
दूसरी बटालियन,
मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

डाकू नाभा के गिरोह ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के मिलने के क्षेत्र में आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रखा था। उन्होंने अनेक डकैतियां, अपहरण और अन्य अपराध किए थे। 4 मई, 1975 को जिला मुरैना में उन्होंने एक पुलिस उप-निरीक्षक और एक बस कण्डक्टर को गोली से मार डाला और एक बस से सात यात्रियों का भी अपरहरण कर लिया। सवाई माधोपुर जिले में डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरे जोर से कार्रवाई की गई। जिसमें 16 और 17 मई, 1975 को गिरोह के साथ पुलिस की दो मुठभेड़ें हुई किन्तु डाकू बचकर भाग गए। पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक श्री खंगार सिंह की कमान में पुलिस डाकुओं के गिरोह का पीछा करती रही। । 30 मई, 1975 को प्रातः ही उनकी गरोह के साथ एक और मुठभेड़ हुई जिसे एक गांव में घेर लिया गया। पुलिस दल तीन टुकड़ियों में बांट दिया गया। उनमें श्री खंगार सिंह ने एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने लगभग 75 गज की

दूरी से डाकुओं पर गोली चलाई। डाकुओं ने भी जवाब में गोली चलाई। श्री खंगार सिंह के दाएं पैर में गोली लगी पर वे विचलित नहीं हुए और खतरे की परवाह न करते हुए उन्होंने जवाब में गोली चलाई और गिरोह के सरदार को मौत के घाट उतार दिया। अन्य डाकुओं ने पार्श्व से बचकर भागने का पूरा प्रयास किया। गोलीबारी और निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह ने तीन मील तक डाकुओं का पीछा किया और उनमें से एक को गोली से मार डाला।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह ने उत्कृष्ठ वीरता, दृढ़-संकल्प तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 मई, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 72-प्रेज/76—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री निहाल सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
44वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री श्याम नारायण यादव,
नायक/चालक सं० 680384954,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री बलदेव यादव,
लांस नायक संख्या 680382773,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री एल० बी० जगताप,
कांस्टेबल सं० 710587272,
44वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

उग्रवादी बिहार के आरा जिले में साहार क्षेत्र में हत्या, लूट और आगजनी करते रहे हैं। 29 जून, 1975 को केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की एक कम्पनी उग्रवादियों के एक दल को, जो गांव में छिपा था, पकड़ने को भेजी गई और उसने उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थान की तलाशी लेनी शुरू की। चार दिन तक घेरा डाले रखा गया। उग्रवादियों के छिपने के स्थान की तलाशी करते हुए जमादार श्री साधू सिंह को गोली लगी तथा वे बुरी तरह घायल हो गए। वे उस कमरे के साथ वाले कमरे में फंस गए जहां से उग्रवादी गोली चला रहे थे। उनको बचाने के लिए पुलिस उप-अधीक्षक श्री बिशम्भर नाथ, मकान की छत पर चढ़ गए। श्री बलदेव यादव ने श्री बिशम्बर नाथ की कार्यवाही को संरक्षण प्रदान किया जिन्होंने श्री साधू सिंह को छत के एक छेद में से सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उठा लिया, जब वह वापस लौट रहे थे तो उग्रवादियों ने छत पर उनकी हलचल देख ली और उन्होंने श्री बलदेव यादव पर गोली चलाई जो घायल होकर गिर पड़े।

पुलिस ने घेरा डाले रखा और उग्रवादी पुलिस पर गोली चलाते रहे। 30 जून, 1975 को उग्रवादियों को उनके छिपने के स्थान से बाहर निकालने के लिए केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के जवानों ने उस कमरे की दीवार में छेद किया जहां उग्रवादियों के छिपने का संदेह था। उग्रवादियों ने छेद में से गोली चलाई और फिर उसे गीली मिट्टी से भर दिया। उन्होंने बचकर भाग निकलने का भी प्रयास किया। उन्हें बचकर भागने से रोकने के लिए श्री श्याम नारायण यादव मकान के आंगन में कूद पड़े और उस कमरे की दीवार की ओर रेंग कर गए जहां उग्रवादियों ने शरण ले रखी थी। खतरे की परवाह न करते हुए उन्होंने जल्दी से उस गीली मिट्टी को हटा दिया जिससे छेद बन्द किया गया था और उग्रवादियों के गोली चलाने से पहले उन्होंने कमरे में एक हथगोला फेंका। उग्रवादियों ने उसका जवाब गोली से दिया परन्तु श्री यादव ने दृढ़ निश्चय से अपने कर्त्तव्य को पूरा किया।

गोलीबारी के दौरान एक गोली श्री जगताप की बाईं बाजू के पार हो गई। वह गम्भीर रूप से घायल हो गए परन्तु इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने अपना स्थान छोड़ने से इन्कार कर दिया और कुमुक आने तक गोली चलाते रहे।

उसी दिन पुलिस उप-अधीक्षक श्री निहाल सिंह ने पुलिस की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया जिसने एक अन्य टुकड़ी को भारमुक्त किया। अपनी कम्पनी के जवानों को महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाने के बाद श्री निहाल सिंह ने मकानों की तलाशी आरंभ की। जब एक कान्स्टेबल ने मकान के एक कमरे का दरवाजा खोला तो अचानक पुलिस दल पर हथगोले फेंके गए जिससे एक कांस्टेबल घायल हो गया। श्री निहाल सिंह ने भी तुरन्त जवाब में कुछ हथगोले फेंके जिससे घायल कांस्टेबल अपनी एल० एम० जी० के साथ रेंग कर लौट आने में सफल हो सका। दूसरी बार 2 जुलाई, 1975 को सवेरे एक बार फिर, भारी गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों ने पश्चिम और पूर्व की ओर से भागने का भरसक प्रयत्न किया। श्री निहाल सिंह लगातार गोलीबारी के बावजूद घेरे को मजबूत करने की दृष्टि से एक टुकड़ी से दूसरी के पास जाते रहे और इस प्रकार उग्रवादियों के बचकर भागने के प्रयास को विफल कर दिया।

इन मुठभेड़ों में श्री निहाल सिंह, श्री श्याम नारायण यादव, श्री बलदेव यादव और एल० बी० जगताप ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 जून, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 73-प्रेज/76—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बालेश्वर सिंह

कांस्टेबल सं० 690380718,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

21 मई, 1975 को जब एक पुलिस टुकड़ी हुल्लमाचक में तैनात केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के लिए जीप में राशन तथा उपकरण ले जा रही थी, तो कुछ उग्रवादियों ने पेहरप तथा थानरी गांवों के बीच उन पर छुपकर घात लगायी और उनके हथियारों तथा गोला बारूद को छीनने का प्रयास किया।, उग्रवादियों ने ग्राम के घने बागों में मोर्चा संभाल रखा था, जो नहरी सड़क के दोनों ओर लगे हुए थे तथा जिसके बीच से जीप गुजर रही थी। श्री बालेश्वर सिंह जीप में संरक्षण टुकड़ी के सदस्य थे। एक कांस्टेबल के कन्धे तथा छाती में गोली लगी और वह जीप में ही गिर गया। श्री बालेश्वर सिंह के भी बांए कंधे पर गोली लगी परन्तु वे विचलित नहीं हुए। खतरे तथा भारी पीड़ा की परवाह न करते हुए उन्होंने मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों पर प्रभावी गोलाबारी की जिससे वे पुलिस दल के हथियार तथा गोला बारूद न छीन पाए।

इस प्रकार श्री बालेश्वर सिंह ने साहस, वीरता तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 मई, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 74-प्रेज/76—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री के० के० नायर,
पुलिस उप-अधीक्षक,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री बिशम्भर नाथ,
पुलिस उप-अधीक्षक,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री प्रभू नारायण सिंह (स्वर्गीय)
कांस्टेबल,
44वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

बिहार के आरा जिले के सहारा क्षेत्र में उग्रवादी हत्या, लूट और आगजनी करते रहे थे। 29 जून, 1975 को केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की एक कम्पनी को उग्रवादियों के एक दल को पकड़ने के लिए भेजा गया जिन्होंने आरा जिले के एक गांव में शरण ले रखी थी। पुलिस उप-अधीक्षक, श्री के० के० नायर तथा जमादार श्री साधू सिंह ने कुछ ग्राम वासियों की सहायता से उक्त क्षेत्र का घेरा डाल दिया। स्वयं श्री नायर ने खोज करने वाले दल का नेतृत्व किया। जिस मकान में उग्रवादियों के छिपे होने का संदेह था उन्होंने उसका दरवाजा बलपूर्वक खोला। जब वे संदिग्ध मकान की तलाशी ले रहे थे तो एक कमरे में छिपे उग्रवादियों ने उन पर गोली चला दी। श्री नायर की हथेली में गोली लगी जिससे कई हड्डियां टूट गईं परन्तु वे अविचलित रहे और अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस प्रकार उग्रवादियों को बचकर भाग निकलने से रोक लिया।

उसी मकान की तलाशी के दौरान, जमादार श्री साधू सिंह भी गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। वे साथ वाले कमरे में फंस गए जहां से उग्रवादी गोली चला रहे थे। श्री साधू सिंह को खतरनाक हालत में देखकर पुलिस उप-अधीक्षक श्री बिशम्भर नाथ, लांस नायक श्री बलदेव यादव के साथ श्री साधू सिंह को निकाल लाने के लिए मकान की छत पर चढ़ गए। श्री बलदेव यादव ने श्री बिशम्भर नाथ का संरक्षण किया जिन्होंने इस बीच छत में छेद किया और साधू सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उठा लिया। किन्तु जब वह लौट रहे थे तो उग्रवादियों के ने छत पर उनकी गतिविधियों को देख लिया और श्री बलदेव यादव पर गोली चलाई जिससे घायल होकर वे गिर पड़े। अब श्री बिशम्भर नाथ उग्रवदियों की गोलियों की सीधी मार में आ गए परन्तु अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए श्री बिशम्भर नाथ, श्री साधू सिंह को उठाए हुए छत पर चलते रहे और अन्ततः उन्हें सफलतापूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर ले आए।

उसी कार्यवाही के दौरान पुनः 1 जुलाई 1975 को उग्रवादियों के छिपने के अन्य स्थान की ओर जाने के लिए श्री बिशम्भर नाथ ने केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की एक कम्पनी का नेतृत्व किया। उनके साथ पुलिस उप-अधीक्षक श्री निहाल सिंह थे। ज्योंही वे उस मकान के अहाते में

घुसे जिसमें उग्रवादी छिपे थे उन पर एक के बाद दूसरा हथगोला फैंका गया। एक हथगोला श्री बिशम्भर नाथ के दाएं कूल्हे पर लगा। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और तुरन्त श्री निहाल सिंह को सावधान होने के लिए कहा तथा उन्हें खींच कर आड़ में ले आए। इस प्रकार उन्होंने अपने तथा अपने साथी के जीवन को बचाया।

इससे पहले 30 जून, 1975 को उग्रवादियों के साथ मुकाबले के दौरान कांस्टेबल श्री प्रभू नारायण सिंह श्री निहाल सिंह के साथ एक संदिग्ध मकान में घुसे और इसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब श्री प्रभू नारायण सिंह ने मकान के अहाते में स्थित एक दरवाजे को धकेल कर खोला तो उन पर गन से गोली चलाई गई जिसके परिणाम-स्वरूप उनके पेट तथा सीने में चोटें लगीं और वे नीचे गिर गए। गहरी चोटों की परवाह न करते हुए श्री प्रभू नारायण सिंह ने एक एल० एम० जी० तथा गोलाबारूद जो उनके पास थे, उग्रवादियों के हाथ में न पड़ने देने का निश्चय किया। वे मकान के प्रवेश द्वार की ओर रेंग कर वापस गए तथा प्राण त्याग दिए परन्तु अपने हथियारों को उग्रवादियों के हाथों में पड़ने से बचा लिया।

इन मुठभेड़ों में श्री के० के० नायर, श्री बिशम्भर नाथ, और श्री प्रभू नारायण सिंह ने अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 जून, 1975 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति के उप-सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1976

सं० 27/5/76-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (1) के खण्ड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को कथित धारा 209क के उद्देश्यों के लिये प्राधिकृत करती है :—

1. श्री बी० चक्रपाणी,
   सहायक निरीक्षण अधिकारी,
   कार्यालय, प्रादेशिक निदेशक,
   कम्पनी विधि बोर्ड,
   बम्बई।
2. श्री पी० के० बन्सल,
   सहायक निरीक्षण अधिकारी,
   कार्यालय, प्रादेशिक निदेशक,
   कम्पनी विधि बोर्ड, बम्बई।
3. श्री एन० आर० श्रीधरन,
   सहायक निरीक्षण अधिकारी,
   कार्यालय, प्रादेशिक निदेशक,
   कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता।

बी० बी० बारुरी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अगस्त 1976

सं० 13019/6/76-जी० पी०—राष्ट्रपति, दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र के लिये गृह मंत्री की सलाहकार समिति में, निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को वर्ष 1976-77 के लिये सहर्ष मनोनीत करते हैं :—

1. श्री दस्मा जानिया वाडले
2. श्रीमती चन्द्रिका बैन त्रिवेदी, तथा
3. श्री जरवास रामजी पटारा

ऋषि देव कपूर, उप-सचिव

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1976

संकल्प

सं० 22(1)/72-सी० जी० पी० ( )—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 22(1)/72-सी० जी० पी० दिनांक 27 अप्रैल, 1976 में आंशिक संशोधन करते हुए ईंट और टाइल उद्योग की नामिका के सदस्य मैसर्स बंगाल ब्रिक-फील्ड ओनर्स एसोसिएशन, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री राम इकबाल सिंह के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्ति को नियुक्त करने का निश्चय किया गया है :—

श्री रामायन सिंह,
अध्यक्ष,
बंगाल ब्रिक-फील्ड ओनर्स एसोसिएशन,
23-ए, नेताजी सुभाष मार्ग,
कलकत्ता-700001

आदेश

सभी सम्बन्धितों को संकल्प की एक प्रतिलिपि भेजने का आदेश दिया जाता है।

आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी संकल्प प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है।

एस० आर० कपूर, उप-सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 1976

संकल्प

सं० जेड 28015/47/76-अस्पताल—हाल में, दिल्ली के अस्पतालों में अस्पताल क्रास संक्रमण का प्रकोप बढ़ जाने की सूचना मिली है। सरकार को इस बात का भी पता चल गया है कि कुछ अस्पतालों के बाल-चिकित्सा वार्डों में 'सालमोनेल्ला न्यपोर्ट' नामक एक उग्र किस्म का संक्रमण हो रहा है और इससे अपेक्षाकृत अधिक शिशुओं की मौतें भी हुई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान

अनुसंधान परिषद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी जनवरी 1976 में 'अस्पताल क्रास संक्रमण की सूक्ष्मजीव विज्ञान संबंधी जांच' नामक एक संयुक्त कार्य गोष्ठी में अस्पताल में क्रास संक्रमण की समस्या पर विचार किया ।

दिल्ली के अस्पतालों में आये संक्रमण और खासकर साल-मोनेल्ला न्यूपोर्ट कितना फैला हुआ है, ऐसे संक्रमण का स्रोत क्या है, यह फैलता कैसे है; ऐसे संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और क्या उपाय बरतने की जरूरत है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

1. डा० एल० एन० महापात्र, प्राध्यापक सूक्ष्मजीवविज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।
2. डा० आर० आर० अरोड़ा, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली ।
3. डा० ओ० पी० शर्मा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, दिल्ली ।
4. डा० शरद कुमार, स्वास्थ्य सेवा उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा-महानिदेशालय—संयोजक ।

इसके निर्देश पद इस प्रकार होंगे —

(1) दिल्ली के अस्पतालों में सालमोनेल्ला न्यूपोर्ट नामक रोग होने, इसका स्रोत, मृत्यु और रुग्णता के हिसाब से इसका प्रभाव और इसे फैलने से रोकने के लिए अस्पताल अधिकारियों द्वारा अब तक किये गये उपायों की जांच करना ।

(2) अस्पताल क्रास संक्रमण मोनिटर करने और उन पर नियंत्रण करने के लिए अस्पतालों में विद्यमान मशीनरी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, और

(3) ऐसे संक्रमणों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय सुझाना ।

दल को चाहिए कि वह 15 सितम्बर, 1976 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली छावनी बोर्ड/इस दल के सभी सदस्यों और संयोजक को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

सी० आर० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 1976

संकल्प

विषय —वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय के लिए कोर्ट का गठन ।

सं० 12-6/76-एफ० आर० वाई०-1 —भतपूर्व खाद्य, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के 4 नवम्बर, 1961 के संकल्प सं० एफ०. 12-4/59-एफ० द्वारा गठित वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय के कोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के तीन महा वनपालों की तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था है । पिछली बार वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय के कोर्ट के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के महा वनपालों की अवधि अब समाप्त हो गई है । तदनुसार, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने जोकि कोर्ट के अध्यक्ष हैं, नीचे लिखे महा वनपालों को इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कोर्ट का सदस्य नामित किया है :—

(1) उत्तरी क्षेत्र —जम्मू तथा कश्मीर के महा वनपाल

(2) पश्चिमी क्षेत्र —राजस्थान के महा वनपाल

(3) पूर्वी क्षेत्र —अरुणाचल प्रदेश के महा वनपाल

2. कोर्ट की बैठक में भाग लेने के लिए उपर्युक्त सदस्यों का यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता पहले की तरह उनकी संबंधित राज्य सरकारें वहन करेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक एवं वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय के कोर्ट के सभी सदस्यों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एन० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1976

संकल्प

सं० 25-8/68-एल० डी०-1—कृषि विभाग के 29 जून, 1967 के संकल्प सं० 25/5/66-एल० डी०-1 के आंशिक संशोधन में, जिसका समय-समय पर संशोधन किया गया है, केन्द्रीय सरकार ने नीचे लिखे व्यक्तियों को तत्काल से गोरक्षा समिति का सदस्य नामित करने का फैसला किया है :—

(1) श्री डी० देवराज उर्स,
मुख्य मंत्री,
कर्नाटक अथवा उनके द्वारा नामित एक मंत्री

(2) श्री एस० बी० चौहान,
मुख्य मंत्री,
महाराष्ट्र अथवा उनके द्वारा नामित एक मंत्री

पी० एस० कोहली, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति नीचे लिखे व्यक्तियों को भेज दी जाए :—

1. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र
2. गोरक्षा समिति के सभी सदस्य

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

गुरदयाल मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 13 अगस्त 1976

संकल्प

सं० जे० 11015/3/76-एफ० आर० वाई० डब्ल्यू० एल०)—न केवल भारत में बल्कि संसार भर में ही वन्य प्राणियों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण उनका वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग रहा है। वन्य प्राणियों की कई किस्मों में निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है तथापि ऐसी वस्तुओं की तस्करी जोर-शोर से चलती रही है। इस प्रकार के व्यापार के कारण जोखिम में पड़ी वन्य प्राणियों की किस्मों के संरक्षण की दृष्टि से 3 मार्च, 1973 को वाशिंगटन में वन्य प्राणियों और वनस्पति की जोखिम में पड़ी किस्मों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक अभिसमय पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

2. इस अभिसमय के परिशिष्ट 1 तथा 2 में वन्य प्राणियों की केवल ऐसी किस्में शामिल की गई है जिनकी संख्या में कमी हो रही है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो जोखिम में पड़ी हुई हैं और जिनका अस्तित्व प्रायः समाप्त होने वाला है । इस अभिसमय का परिशिष्ट 3 इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को इस बात की अनुमति देता है कि वे इस अभिसमय के प्रावधानों को अपने देश के ऐसे वन्य प्राणियों की किस्मों पर लागू कर सकते हैं जिन्हें विशेष संरक्षण प्रदान करना आवश्यक समझा जाये । भारत ने जुलाई, 1974 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये । अब भारत सरकार ने इस अभिसमय की अभिपुष्टि करने का और इस अभिपुष्टि के प्रपत्र को स्विस सरकार के पास जो कि इसका न्यासीधारी देश है, कराने का निश्चत किया है ।

3. इस अभिसमय की धारा 9 में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक पार्टी इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को सामोदिष्ट करेगी ।

(क) उस पार्टी की ओर से परमिट या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सक्षम एक या इससे अधिक प्रबंध प्राधिकरण ।

(ख) एक या इससे अधिक वैज्ञानिक प्राधिकरण ।

4. उक्त प्रबंध प्राधिकरण और वैज्ञानिक प्राधिकरण के कार्य इस प्रकार होंगे :—

प्रबंध प्राधिकरण

1. इस अभिसमय के परिशिष्ट 1 में शामिल की गई किसी भी किस्म के किसी भी नमूने के निर्यात के लिए पहले से निर्यात परमिट प्रदान करके प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । ऐसा निर्यात परमिट निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर ही दिया जायेगा :—

(क) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त नमूना वन्य प्रणियों तथा वनस्पति संरक्षण के लिए उस राज्य द्वारा बनाए कानूनों का उल्लंघन करते हुए, प्राप्त न किया गया हो ।

(ख) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि वन्य-प्राणियों की किसी भी जीवित किस्म को जलयान द्वारा इस प्रकार भेजा जायेगा कि उन्हें चोट लगने या उनका स्वास्थ्य खराब होने या उनके साथ निर्दयता की कम से कम संभावना हो ।

(ग) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि आयात का परमिट एक नमूने के लिए दिया गया हो ।

(2) इस अभिसमय के परिशिष्ट 2 में शामिल किस्मों के किसी भी नमूने के निर्यात के लिए पहले से निर्यात प्रदान और प्रस्तुत करना होगा । ऐसा निर्यात परमिट निम्नलिखित शर्तें पूरा करने पर ही दिया जायेगा :—

(क) जब प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त नमूना वन्य प्राणि तथा वनस्पति संरक्षण के लिए बनाए कानूनों का उल्लंघन करते हुए प्राप्त न किया गया हो;

(ख) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि वन्य प्राणियों की किसी भी जीवित किस्म को जलयान द्वारा इस प्रकार भेजा जायेगा कि उन्हें चोट लगने या उनका स्वास्थ्य खराब होने या उनके साथ निर्दयता की कम से कम संभावना हो ।

(3) इस अभिसमय के परिशिष्ट 3 में शामिल किस्मों के किसी भी नमूने के निर्यात के लिए पहले से निर्यात परमिट प्रदान करना और प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । ऐसा निर्यात परमिट निम्नलिखित शर्तें पूरा करने पर ही दिया जायेगा :—

(क) जब प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त नमूना वन्यप्राणियों तथा वनस्पति संरक्षण के लिए उस राज्य द्वारा बनाए कानूनों का उल्लघन करते हुए प्राप्त न किया गया हो ;

(ख) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि वन्यप्राणियों की किसी भी जीवित किस्म को जलयान द्वारा इस प्रकार भेजा जाएगा कि उन्हें चोट लगने या उनका स्वास्थ्य खराब होने या उनके साथ निर्दयता को कम से कम संभावना हो ।

(4) उक्त अभिसमय के परिशिष्ट 1 में शामिल प्राणियों की किस्मों के किसी भी नमूने के आयात के लिए पहले से आयात परमिट और या तो आयात परमिट अथवा एक पुनर्निर्यात प्रमाणपत्र प्रदान करना और प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । आयात की अनुमति केवल तब ही दी जायेगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों ।

(क) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त नमूने का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा ।

5. अभिसमय के परिशिष्ट 1 में शामिल किसी भी प्राणि के नमूने के पुनर्निर्यात के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले से एक पुनर्निर्यात प्रमाण पत्र प्रदान किया जाय और प्रस्तुत किया जाये । ऐसा पुनर्निर्यात प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर ही दिया जायेगा :—

(क) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि उस राज्य में नमूने का आयात वर्तमान अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार किया गया था ।

(ख) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि किसी जीवित प्राणी का नमूना जलयान द्वारा इस प्रकार भेजा जायेगा कि उसे चोट लगने, उसका स्वास्थ्य खराबा होने या उसके साथ निर्दयता की संभावना कम से कम हो ।

(ग) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि किसी भी जीवित प्राणी के नमूने के लिए आयात परमिट मंजूर किया गया हो ।

(6) अभिसमय के परिशिष्ट I में शामिल किए गए किसी भी किस्म के नमूने को समुद्र से भेजने के लिए भेजने वाले राज्य के प्रबंध प्राधिकरण से एक प्रमाण-पत्र पहले ही मंजूर कराने की जरूरत होगी । प्रमाण-पत्र तभी मंजूर किया जाएगा जब नीचे लिखी शर्तें पूरी कर दी जायें ।

(क) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि जीवित प्राणी के नमूने के प्रस्तावित प्राप्तकर्त्ता के पास प्राणी को रखने और उसकी देखभाल करने के लिए उपयुक्त साधन हैं ।

(ख) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि नमूने का प्रयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा ।

(7) अभिसमय की परिशिष्ट 2 में शामिल की गई किस्मों के किसी नमूने का दुबारा निर्यात करने के लिए दुबारा निर्यात करने संबंधी एक प्रमाण-पत्र पहले मंजूर कराने और उसे पेश करने की जरूरत होगी । दुबारा निर्यात करने संबंधी प्रमाण-पत्र नीचे लिखी शर्तें पूरी करने पर ही मंजूर किया जाएगा ।

(क) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य में नमूने का आयात वर्तमान अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किया गया है, और

(ख) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि किसी जीवित प्राणी का नमूना जलयान द्वारा इस प्रकार भेजा जाएगा कि उसे चोट लगने, उसका स्वास्थ्य खराब होने या उसके प्रति निर्दय व्यवहार का जोखिम कम से कम हो ।

(8) अभिसमय की परिशिष्ट 2 में शामिल की गई किस्मों के किसी नमूने को समुद्र से भेजने के लिए प्रबंध प्राधिकरण से पहले ही एक प्रमाण-पत्र मंजूर कराने की जरूरत होगी । प्रमाण-पत्र नीचे लिखी शर्तें पूरी करने पर ही मंजूर किया जाएगा ।

(क) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि कोई भी नमूना इस प्रकार संभाला जाएगा कि उसे चोट लगने, उसका स्वास्थ्य खराब होने या उसके प्रति निर्दय व्यवहार का जोखिम कम से कम हो ।

(9) प्रबंध प्राधिकरण अभिसमय के अनुच्छेद 3, 4 और 5 की शर्तों में छूट दे सकता है और ऐसे नमूनों की परमिट या प्रमाण-पत्र के बिना ढुलाई की अनुमति दे सकता है जिसमें चलता-फिरता चिड़ियाघर, सर्कस, वन्य-प्राणि, वनस्पति प्रदर्शनी या अन्य चलती-फिरती प्रदर्शनी शामिल है, बशर्ते कि—

(क) निर्यातकर्त्ता या आयातकर्त्ता ऐसे नमूनों का पूरा ब्यौरा प्रबंध प्राधिकरण के पास रजिस्टर कराये,

(ख) नमूने अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैरा 2 या 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अनुरूप हों ।

(ग) प्रबंध प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि किसी भी जीवित प्राणी का नमूना इस प्रकार भेजा जाएगा और उसकी इस प्रकार देखभाल की जाएगी कि उसे चोट लगने, उसका स्वास्थ्य खराब होने या उसके प्रति निर्दय व्यवहार का जोखिम कम से कम हो ।

(10) जहां किसी जीवित प्राणी का नमूना अभिसमय के अनुच्छेद 8 के पैरा 1 में बताए गए उपायों के फलस्वरूप जब्त कर लिया जाए, वहां ।

(क) वह नमूना जब्त करने वाले राज्य के प्रबंध प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा ।

(ख) प्रबंध प्राधिकरण निर्यातकर्त्ता राज्य के परामर्श से नमूने को उस राज्य को उसी के खर्चे पर या एक बचाव केन्द्र पर अथवा किसी ऐसे स्थान पर लौटा देगा जिसे प्रबंध प्राधिकरण उपयुक्त समझे और जो वर्तमान अभिसमय के प्रयोजनों के अनुरूप हो, और

(ग) प्रबंध प्राधिकरण किसी वैज्ञानिक प्राधिकरण की राय ले सकता है और जब भी वह जरूरी समझे, सचिवालय से परामर्श कर सकता है, ताकि इस पैरा के उप-पैरा (ख) के अन्तर्गत सुविधापूर्वक निर्णय लिया जा सके, जिसमें एक बचाव केन्द्र या अन्य स्थान भी शामिल है ।

(11) प्रबंध प्राधिकरण इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए संरक्षण केन्द्र नामोदिष्ट करेगा ।

(12) अभिसमय के क्रियान्वयन से सम्बन्धित और भारत सरकार द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य ।

वैज्ञानिक प्राधिकरण

(1) अभिसमय की परिशिष्ट I में शामिल की गई किस्मों के किसी नमूने के निर्यात के लिए एक निर्यात परमिट पहले ही मंजूर करवाकर प्रस्तुत करना होगा । निर्यात परमिट नीचे लिखी शर्तें पूरी करने पर ही मंजूर किया जाएगा ।

(क) वैज्ञानिक प्राधिकरण ने सलाह दी हो कि ऐसे निर्यात से उस किस्म के जीवित बचे रहने के सम्बन्ध में कोई खतरा नहीं होगा ।

(2) अभिसमय के परिशिष्ट I में शामिल की गई किस्मों के किसी नमूने के आयात के लिये आयात परमिट तथा निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण-पत्र की पहले लेने और उसे पेश करने की आवश्यकता होगी । आयात परमिट तभी स्वीकृत किया जायेगा जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाये :—

(क) वैज्ञानिक प्राधिकरण ने सलाह दी है कि आयात उन उद्देश्यों के लिए किया जायेगा, जो संबंधित किस्मों के जीवन के लिये अहितकर न हो,

(ख) वैज्ञानिक प्राधिकरण को संतोष है कि जीवित नमूने के प्रस्तावित प्राप्तकर्त्ता के पास इन्हें रखने तथा इनकी देख भाल करने के लिये उचित व्यवस्था है, और

(3) अभिसमय के परिशिष्ट I में शामिल की गई किस्मों के किसी नमूने को समुद्र से भेजने के लिये भेजने वाले राज्य के प्रबन्ध प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र पहले ही लेना होगा। प्रमाण-पत्र केवल तभी दिया जायेगा, जबकि निम्नलिखित शर्त पूरी की जायें :—

(क) वैज्ञानिक प्राधिकरण प्रमाणित करता है कि किस्म को भेजना संबंधित किस्मों के जीवन के लिये अहितकर नहीं होगा।

(4) अभिसमय के परिशिष्ट II में शामिल की गई किस्मों के किसी नमूने के निर्यात के लिये निर्यात संबंधि परमिट की पूर्व स्वीकृति और उसे प्रस्तुत करना होगा। निर्यात संबंधी परमिट केवल तभी दिया जायेगा, जबकि निम्नलिखित शर्त पूरी की जायें :—

(क) वैज्ञानिक प्राधिकरण ने सलाह दी है कि ऐसा निर्यात उन किस्मों के जीवन के लिये अहितकर नहीं होगा,

(5) प्रत्येक पार्टी (निर्यातक तथा आयातक दोनों) के वैज्ञानिक प्राधिकरण अभिसमय के परिशिष्ट II में शामिल की गई किस्मों के नमूनों के लिए उस राज्य द्वारा स्वीकृत किए गए निर्यात संबंधी परमिटों और ऐसी किस्मों के वास्तविक निर्यात दोनों की व्यवस्था करेगा। जब कभी वैज्ञानिक प्राधिकरण निर्धारित करता है कि ऐसी किस्मों के नमूनों का निर्यात सीमित होना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि किस्में अपनी सारी परिसीमा में पारिस्थितिक प्रणालियों, जिसमें यह प्रक्रिया है, में अपनी भूमिका के अनुरूप स्तर पर है और उस स्तर से काफी ऊपर है जिस पर कि ये किस्में अभिसमय के परिशिष्ट I में शामिल करने के लिए उपयुक्त हों तो वैज्ञानिक प्राधिकरण उन किस्मों के नमूनों के लिए निर्यात संबंधी परमिटों की स्वीकृति सीमित करने के लिए किए जाने वाले उचित उपायों के संबंध में समुचित प्रबंध प्राधिकरण को सलाह देगा।

(6) अभिसमय के परिशिष्ट II में शामिल की गई किस्मों के किसी नमूने को समुद्र से भेजने के लिए भेजने वाले राज्य के प्रबंध प्राधिकरण से एक प्रमाणपत्र पहले लेना होगा। प्रमाण-पत्र तभी दिया जायेगा, जबकि निम्नलिखित शर्त पूरी की जायें :—

(क) वैज्ञानिक प्राधिकरण ने सलाह दी है कि किस्मों को भेजना संबंधित किस्मों के जीवन के लिये अतिहकर नहीं होगा,

(7) अभिसमय के क्रियान्वयन के संबंध में कोई अन्य कार्य, जो भारत सरकार इसे सौंपे।

5. प्रबंध प्राधिकरण तथा वैज्ञानिक प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित रूप से होगा :—

1. प्रबंध प्राधिकरण : 1. भारत सरकार के वन महानिरीक्षक, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
   2. वन्य प्राणी परिरक्षण निदेशक, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।

2. वैज्ञानिक प्राधिकरण: 1. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, पो० ओ० बोटेनिक गार्डन, हावड़ा-711103।
   2. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, 34, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता।
   3. केन्द्रीय समुद्रीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सब संबंधित अधिकारियों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० सेठ, वन महानिरीक्षक
तथा पदेन अवर सचिव

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1976

शुद्धि पत्र

सं० 31/1/76-स्मा०—भारत के राजपत्र भाग-I, खंड-1 में पृष्ठ 464-465 पर दिनांक 19-6-1976 को प्रकाशित संकल्प सं० 31/1/76-स्मा० के दिनांक को कृपया शुद्ध किया जाय और दिनांक 22-5-1976 के स्थान पर 1-5-1976 पढ़ें।

जगत पति जोशी
निदेशक (अन्वेषण)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 1976

संकल्प

सं० ई० आर० बी०-1/72/21/118—"रेलों पर तालिका प्रबन्ध समिति" के गठन के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 2 जनवरी, 1974 और 27 मई, 1974 के संकल्प सं० ई० आर० बी०-1/72/21/118 में आंशिक आशोधन के संदर्भ में भारतीय सरकार ने इस समिति में निम्नलिखित को नामित करने का विनिश्चय किया है :—

1. श्री के० एस० भंडारी, जो सेवा निवृत्त हो गये हैं, के स्थान पर श्री पी० एन० जैन, वित्त आयुक्त, रेलवे को उक्त समिति के सदस्य के रूप में।

2. श्री टी० बी० जोसेफ, जो महाप्रबन्धक (निर्माण), दक्षिण, रेलवे, बैंगलुरू के रूप में नियुक्त किये गये हैं, के स्थान पर श्री जी० एन० भट्टाचार्यजी, महानिदेशक, अ० अ० मा० सं०, लखनऊ को उक्त समिति के सदस्य के रूप में।

बी० मोहन्ती
सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th August 1976

No. 70-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Armed Constabulary :—

Names and Ranks of the Officers

Shri Khangar Singh,
Platoon Commander,
1st Battalion,
Rajasthan Armed Constabulary.

Shri Man Singh,
Head Constable No. 124,
1st Battalion,
Rajasthan Armed Constabulary.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

The gang of dacoit Nabha had created a reign of terror in the area located on the trijunction of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. They had committed a large number of dacoities, kidnapping and other crimes. On 4th May, 1975, they shot dead a Sub-Inspector of Police and a bus conductor and also kidnapping seven civilians from a bus in District Morena. In the area of District Sawaimadhopur an all-out hunt was launched to apprehend the dacoit gang. The police had two encounters with the gang on 16th and 17th May, 1975, but the dacoits managed to escape. The police party under the command of Shri Khangar Singh, Additional Superintendent of Police continued the chase. In the early morning of 30th May, 1975 the police party had another encounter with the gang, which was cordoned in a village. The police party was divided into three groups. Shri Khangar Singh led one of the parties. He fired at the dacoits from a distance of about 75 yards. The dacoits fired back. Shri Khangar Singh received bullet injury in his right foot but he remained undeterred and in disregard of the risk involved returned the fire and shot dead the leader of the gang. The other dacoits made a determined bid to escape from the flank. Without caring for the fire and his personal safety, Shri Surendra Singh chased the dacoits for about 3 miles and shot dead a dacoit. Shri Man Singh, who was a member of one of the police parties, by determined fire, prevented the dacoits from escaping.

In this encounter Shri Khangar Singh and Shri Man Singh exhibited conspicuous gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 30th May, 1975.

No. 71-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Special Armed Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Surendra Singh Kushwah,
Platoon Commander,
2nd Battalion,

Madhya Pradesh Special Armed Force.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

The gang of dacoit Nabha had created a reign of terror in the area located on the trijunction of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. They had committed a large number of dacoities, kidnapping and other crimes. On the 4th May, 1975, they shot dead a Sub-Inspector of Police and a bus conductor and also kidnapped seven civilians from a bus, in District Morena. In the area of District Sawaimadhopur an all-out hunt launched to apprehend the dacoit gang. The police had two encounters with the gang on the 16th and 17th May, 1975, but the dacoits managed to escape. The police party continued the chase. In the early morning of 30th May, 1975 they had another encounter with the gang, which was cordoned in a village. The police party was divided into three groups. Shri Khangar Singh led one of the parties. He fired at the dacoits from a distance of about 75 yards. The dacoits fired back. Shri Khangar Singh received bullet injury in his right feet but he remained undeterred and in disregard of the risk involved returned the fire and shot dead the leader of the gang. The other dacoits made a determined bid to escape from the flank. Without caring for the firing and his personal safety, Shri Surendra Singh chased the dacoits for 3 miles and shot dead a dacoit. Shri Man Singh, who was a member of one of the police parties, by determined fire, prevented the dacoits from escape.

In this encounter Shri Surendra Singh Kushwah exhibited conspicuous gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th May, 1975.

No. 72-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Ranks of the Officers

Shri Nihal Singh,
Deputy Superintendent of Police,
44th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Shyam Narain Yadav,
Naik/Driver No. 680384954,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Baldev Yadav,
Lance Naik No. 680382773,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri L. B. Jagtap,
Constable No. 710587272,
44th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded.

The extremists had been indulging in murder, loot and arson in the Sahar area of Arrah District of Bihar. On the 29th June, 1975, a Company of the Central Reserve Police Force was sent to apprehend a group of extremists who had taken shelter in a village and started searching the suspected hide-out of the extremists. The cordon continued for four days. During the course of the search of the hide-out of the extremists, Shri Sadhu Singh, Jemadar, received a bullet injury and was severely injured. He was trapped in a room adjacent to the room from which the extremists were firing. In order to rescue him Shri Bishamber Nath, Deputy Superintendent of Police climbed up to the roof of the house. Shri Baldev Yadav covered the movement of Shri Bishamber Nath who lifted Shri Sadhu Singh through a hole on the roof in order to bring him to a place of safety. While he was coming back, the extremists noticed movement on the roof and fired at Shri Baldev Yadav who was injured and fell down.

The police continued the cordon while the extremists continued firing on the police. In order to flush out the extremists from their hide-out, on 30th June, 1975, the Central Reserve Police Force personnel dug a hole in the wall of the room where the extremists were suspected to have taken shelter. The extremists started firing through this hole and then immediately plugged it with mud. The also made an attempt to escape. In order to prevent them from escaping Shri Shyam Narain Yadav jumped into the court-yard of the house and crawled to the wall of the room while the extremists had taken shelter. In disregard of the risk involved, he quickly pushed and removed the mud with which the hole had been plugged and before the extremists could fire, he lobbed a hand-grenade into the room. The extremists retaliated with gun-fire but Shri Yadav accomplished his task with dogged determination.

During the course of firing a bullet pierced through the left arm of Shri Jagtap. He was seriously injured but in disregard of the severe injury he refused to leave his post and kept on firing till reinforcement arrived.

On the same day, Shri Nihal Singh, Deputy Superintendent of Police led a Police Company which was to relieve another Company already stationed there. After deploying the personnel of his Company at strategic points Shri Nihal Singh searched various houses. In one of the houses when a Constable of his Company pushed open a door, suddenly hand grenades were hurled on the police party, which injured one of the Constables. Shri Nihal Singh immediately retaliated with hand grenades and thus enabled the injured constable to crawl back with his LMG. Again, in the early hours of 2nd July, 1975, the extremists made a determined bid to escape both from the western side and the eastern side. Shri Nihal Singh moved from section to section to lighten the cardon in the midst of continued firing and foiled the attempt of the extremists to escape.

In these encounters Shri Nihal Singh, Shri Shyam Narain Yadav, Shri Baldev Yadav and Shri L. B. Jagtap exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th June, 1975.

No. 73-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Baleshwar Singh,
Constable No. 690380718,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded.

On the 21st May, 1975, while a Police party was carrying ration and equipment for the Central Reserve Police Force stationed at Dullamachak in a jeep, they were ambushed between villages Pehrap and Dhanri by some extremists who attempted to seize their arms and ammunition. The extremists had taken up position in thick mango groves which lined both the sides of the canal road through which the jeep was passing. Shri Baleshwar Singh was a member of the escort party in the jeep. One of the constables was hit on the shoulder and chest and collapsed in the jeep. Shri Baleshwar Singh also sustained a bullet injury on his left shoulder but he remained undeterred. Unmindful of the risk involved and the severe pain he was having, he took up position and directed effective fire at the extremists thereby preventing them from taking away the arms and ammunition of the police party.

Shri Baleshwar Singh thus exhibited courage, gallantry and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st May, 1975.

No. 74-Pres./76.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallary to undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Ranks of the Officers

Shri K. K. Nair,
Deputy Superintendent of Police,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Bishamber Nath,
Deputy Superintendent of Police,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Prabhu Narayan Singh, *(Deceased)*
Constable,
44th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded.

The extremists had been indulging in murder, loot and arson in Sahar area of Arrah District of Bihar. On 29th June, 1975, a Company of the Central Reserve Police Force was sent to apprehend a group of extremists who had taken shelter in a village in Arrah District. Shri K. K. Nair, Deputy Superintendent of Police and Shri Sadhu Singh, Jemadar, with the help of certain villagers cordoned the place. Shri Nair, led the search party personally. They forced open the door of the suspected hide-out. While they were conducting the search, they were fired upon by the extremists who had taken shelter in a room of that house. Shri Nair received a bullet injury on his palm causing multiple fracture but he remained undeterred and continued to lead his men to surround the area and thereby preventing the escape of the extremists.

During the course of search of the house, Shri Sadhu Singh, Jemadar, also received a severe bullet injury. He lay trapped in a room adjacent to the one from which the extremists were firing. Seeing the precarious position in which Shri Sadhu Singh lay injured, Shri Bishamber Nath, Deputy Superintendent of Police, alongwith Shri Baldev Yadav, Lance Naik, climbed up to the roof of the house in order to rescue Shri Sadhu Singh. While Shri Baldev Yadav covered the movement of Shri Bishamber Nath, the latter made a hole in the roof and physically lifted Shri Sadhu Singh in order to bring him to a place of safety. But while he was coming back, the extremists noticed the movements on the roof and fired at Shri Baldev Yadav, who received injuries and fell down. Shri Bishamber Nath was thereafter left exposed to extremist firing. But in utter disregard of his personal safety, Shri Bishamber Nath continued to carry Shri Sadhu Singh along the roof and ultimately brought him to a place of safety.

Again on 1st July 1975, in the course of the same campaign Shri Bishamber Nath led a Company of Central Reserve Police Force to another hide-out of the extremists. He was accompanied by Shri Nihal Singh, Deputy Superintendent of Police. As they entered the court-yard of the house occupied by the extremists, two hand-grenades were thrown at them in quick succession. One of the hand-grenades hit Shri Bishamber Nath on the right hip. He did not loose his cool but immediately cautioned and dragged Shri Nihal Singh to a cover, thus saving the life of his colleague as well as his own.

Earlier on 30th June, 1975, during the course of confrontation with the extremists, Shri Prabhu Narayan Singh, Constable, along with Shri Nihal Singh, entered a suspected house and started searching it. When Shri Prabhu Narayan Singh pushed open one of the doors located in the court-yard of the house, he was fired upon from a stengun as a result of which he received injuries in his abdomen and in the chest and well down. In disregard of the severe injury, Shri P. N. Singh made a determined bid to save the LMG and ammunition that he was holding from falling into the hands of the extremists. He crawled back to the entrance of the house, and thus but succeeded in saving his weapon from falling into the hands of the extremists before breathing his last.

In these encounters Shri K. K. Nair, Shri Bishamber Nath and Shri Prabhu Narayan Singh exhibited exemplary courage conspicuous gallantry and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th June, 1975.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 11th August 1976

ORDER

No. 27/5/76-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of subsection (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs, for the purposes of the said section 209A :—

1. Shri V. Chakrapani, Assistant Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Bombay.

2. Shri P. K. Bansal, Assistant Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Bombay.

3. Shri N. R. Sridharan, Assistant Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta.

B. B. BARURI, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi 110001, the 12th August 1976

No. 13019/6/76-G.P.—The President is pleased to nominate the following non-official members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli for the year 1976-77 :—

(1) Shri Dasma Jania Wadale,

(2) Smt. Chandrikaben Trivedi, and

(3) Shri Jarwas Ramji Patara.

R. D. KAPUR, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 16th August 1976

RESOLUTION

No. 22(1)/72-CGP(.).—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 22(1)/72-CGP, dated the 27th April, 1976, it has been decided to appoint the following person as a member of the Panel for Brick & Tile Industry representing M/s Bengal Brick-Field Owners' Association, Calcutta, in place of Shri Ram Ekbal Singh :—

Shri Ramayan Singh,
President,
Bengal Brick-Field Owners' Association,
23-A, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. R. KAPUR, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 9th August 1976

RESOLUTION

No. Z.28015/47/76-H.—Increase in the incidence of hospital cross infection in Delhi hospitals has been reported in the recent past. Government have also learnt that a virulent form of infection, namely Salmonella Newport, has been detected in the paediatric wards of some of the hospitals and this has also resulted in higher mortality of infants. The problem of hospital cross infection was recently examined in a joint ICMR-WHO Workshop on "Microbiological Investigations on Hospital Cross Infections" held in January, 1976.

To determine the prevalence of infections in Delhi hospitals in general, and of the Salmonella Newport in particular, the sources of such infection, their spread, the measures taken and those required to control the spread of such infection, the Government have decided to appoint a Group consisting of :—

1. Dr. L. N. Mohapatra, Professor of Microbiology, All India Institute of Medical Sciences.

2. Dr. R. R. Arora, National Institute of Communicable Diseases, Delhi.

3. Dr. O.P. Sharma, Director Health Services, Delhi.

4. Dr. Sharad Kumar, Deputy Director General of Health Services, Directorate General of Health Services .. .. Convenor

with the following terms of reference :—

1. to investigate the appearance of Salmonella Newport in Delhi Hospitals, its origin, the effect it has had in terms of mortality and morbidity and the measures that have been taken so far by the hospital authorities to check the spread of this infection;

2. to assess the effectiveness of the machinery that exists in the hospitals to monitor and control the hospital cross infections; and

3. to suggest measures for the detection and control of such infections.

The group should submit its report by 15th September, 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India/President Secretariat/Prime Minister's Secretariat/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Directorate General of Health Services/Delhi Administration/Delhi Municipal Corporation/New Delhi Municipal Committee/Delhi Cantonment Board/Members and Convenor of the Group.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 11th August 1976

RESOLUTION

Sub : Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun Constitution of a Court for the—.

No. 12-6/76-FRY-I.—The Court of the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun constituted *vide* Resolution No. F.12-4/59-F, dated November 4, 1961, of the then Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) *inter alia* provides for appointment of three Chief Conservators of Forests from the States as members for a period of 3 years. The terms of Chief Conservators of Forests of Andhra Pradesh, West Bengal and Madhya Pradesh last appointed as members of the Court of the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun have since expired. Accordingly, the Union Minister of Agriculture and Irrigation, who is the Chairman of the Court, has now nominated the following Chief Conservators of Forests as members of the Court for a period of three years w.e.f. the date of issue of this resolution :

(i) Northern region .. Chief Conservator of Forests of Jammu & Kashmir.

(ii) Western region .. Chief Conservator of Forests of Rajasthan.

(iii) Eastern region .. Chief Conservator of Forests of Arunachal Pradesh.

2. Travelling Allowance and Daily Allowance of the above members for attending the meetings of the Court will, as usual, be borne by their respective State Governments.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments & Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India and all members of the Court of the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

New Delhi, the 11th August 1976

RESOLUTION

No. 25-8/68-L.D.I.—In partial modification of the Department of Agriculture's Resolution No. 25-5/66-L.D.I. dated the 29th June, 1967 as amended from time to time the Central Government has decided to nominate the following persons as members of the Cow Protection Committee with immediate effect :—

(1) Shri D. Devraj Urs,
Chief Minister of Karnataka or a Minister nominated by him

(2) Shri S. B. Chavan,
Chief Minister of Maharashtra or a Minister nominated by him

P. S. KOHLI, Jt. Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. All State Governments/Union Territories.

2. All Members of the Cow Protection Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GURDIAL MOHAN, Under Secy.

New Delhi, the 13th August 1976

RESOLUTION

No. J.11015/3/76-FRY(WL).—Commercial exploitation has been a prime cause for the decline of wild life not only in India but throughout the world. Export of a number of species of wild life has been banned. However, smuggling of these commodities has been rampant. With a view to conserve species threatened by such trade, a Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora was signed on March 3, 1973 at Washington.

2. In Appendices I and II of the Convention, only those species whose population is declining and which are threatened by international trade and those that are on the verge of extinction are included. The Appendix III of the Convention permits the signatory countries to extend the provision of this Convention to those species of their own wild life which are considered to be in need of special protection. India signed this Convention in July, 1974. The Government of India have now decided to ratify this Convention and deposit the Instrument of Ratification with the Swiss Government who is the Depository State.

3. Article IX of the Convention provides that each party would designate for the purposes of this Convention :

(a) One or more management authorities competent to grant permits or certificates on behalf of that party; and

(b) One or more scientific authorities.

4. The functions of the Management Authority and the Scientific Authority will be as follows :—

Management Authority :

(1) The export of any specimen of a species included in Appendix I of the Convention shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall be granted when the following conditions have been met :

(a) Management Authority is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora;

(b) Management Authority is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury damage to health or cruel treatment; and

(c) Management Authority is satisfied that an import permit has been granted for the specimen.

(2) The export of any specimen of a species included in Appendix II of the Convention shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) Management Authority is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws for the protection of fauna and flora; and

(b) Management Authority is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

(3) The export of any specimen of a species included in Appendix III of the Convention shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Management Authority is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws for the protection of fauna and flora; and

(b) Management Authority is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

(4) The import of any specimen of a species included in Appendix I of the Convention shall require the prior grant and presentation of an import permit and either an export permit or a re-export certificate. An import shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Management Authority is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

(5) The re-export of any specimen of a species included in Appendix I of the Convention shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Management Authority is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention;

(b) Management Authority is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and

(c) Management Authority is satisfied that an import permit has been granted for any living specimen.

(6) The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I of the Convention shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Management Authority is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

(b) Management Authority is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

(7) The re-export of any specimen of a species included in Appendix II of the Convention shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Management Authority is satisfied that the specimen was imported into the State in accordance with the provisions of the present Convention; and

(b) Management Authority is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

(8) The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix II of the Convention shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Management Authority is satisfied that any living specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

(9) Management Authority may waive the requirements of Article III, IV and V of the Convention and allow the movement without permits or certificates of specimens which form part of a travelling, zoo, circus, menageric, plant exhibition or other travelling exhibition provided that;

(a) the exporter or importer registers full details of such specimens with the Management Authority;

(b) the specimens are in either of the categories specified in paragraphs 2 or 5 of Article VII of the Convention; and

(c) Management Authority is satisfied that any living specimen will be so transported and cared for as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

(10) Where a living specimen is confiscated as a result of measures referred in paragraph 1 of Article VIII of the Convention :

(a) the specimen shall be entrusted to the Management Authority of the State of confiscation;

(b) the Management Authority shall after consultation with the State of export, return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue centre or such other place as the Management Authority deems appropriate and consistent with the purposes of the present Convention; and

(c) the Management Authority may obtain the advice of a Scientific Authority, or may, whenever it considers it desirable consult the Secretariat in order to facilitate the decision under sub-paragraph (b) of this pararaph, including the choice of a rescue centre or other place.

(11) Management Authority shall designate the rescue centres for the purpose of this Convention.

(12) Any other work relating to implementation of the Convention and assigned by Government of India.

Scientific Authority :

(1) The export of any specimen of a species included in Apepndix I of the Convention shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Scientific Authority has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species.

(2) The import of any specimen of a species included in Appendix I of the Convention shall require the prior grant and presentation of an import permit and either an export permit or a re-export certificate. An import permit shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Scientific Authority has advised that the import will be for purposes which are not detrimental to the survival of the species involved;

(b) Scientific Authority is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

(3) The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I of the Convention shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Scientific Authority has advised that such export will not be detrimental to the survival of the species involved.

(4) The export of any specimen of a species included in Appendix II of the Convention shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met :

(a) Scientific Authority has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;

(5) Scientific Authority in each Party (both exporter and importer) shall monitor both the export permits granted by that State for specimens of species included in Appendix II of the Convention and the actual exports of such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species throughout its range a a level consistent with its role in the eco-systems in which it occurs and well above the level at which that species might become eligible for inclusion in Appendix I of the Convention, the Scientific Authority shall advise the appropriate Management Authority of suitable measures to be taken to limit the grant of export permits for specimens of that species.

(6) The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix II of the Convention shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met.

(a) Scientific Authority has advised that introduction will not be detrimental to the survival of the species involved;

(7) Any other work relating to implementation of the Convention and assigned by the Government of India.

5. The composition of the Management Authority and the Scientific Authority would be as follows :

1. *Management Authority* :

1. Inspector General of Forests, Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), Krishi Bhawan, New Delhi.
2. Director of Wild Life Preservation, Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), Krishi Bhawan, New Delhi.

2. *Scientific Authority* :

1. Botanical Survey of India, P.O. Botanic Garden, Howrah-711103.
2. Zoological Survey of India, 34, Chittaranjan Avenue; Calcutta.
3. Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SETH, Inspector General of Forests & *ex-officio* Additional Secy.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 11th August 1976

CORRIGENDUM

No. 31/1/76-M —The date of the resolution No. 31/1/76-M published in Part I. Section I of the Gazette of India dated 19th June 1976 at pages 464—466 may please be corrected to *read* as 1-5-1976 *instead of* 22-5-1976.

JAGAT PATI JOSHI, Director (Explorations) *For* Director General.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th August 1976

RESOLUTION

No. ERB-I/72/21/118.—In partial modification of Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. ERB-I/72/21/118 dated 2nd January 1974 and 27th May 1974 regarding constitution of the "Committee on Inventory Management on Railways", the Government of India have decided to nominate the following on the Committee :

1. Shri P. N. Jain, Financial Commissioner, Railways, as Member of the Committee in place of Shri K. S. Bhandari, since retired from service.
2. Shri G. N. Bhattacharjee, Director General, R.D.S.O., Lucknow, as a Member of the Committee *vice* Shri T. V. Ioseph, since appointed as General Manager (Construction), Southern Railway, Bangalore.

B. MOHANTY, Secy., Railway Board, & *ex-officio* Jt, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976